

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क/मंडी/प्रांगण/46/46/कार्य योजना/बिन्दु-24/491 भोपाल, दि. 31/5/2019
प्रति,

भारसाधक अधिकारी/सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
.....जिला.....(समस्त)


विषय :- प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों के प्रांगण/उपमण्डी प्रांगण में निर्मित सरचनाओं एवं भूखण्डों का आवंटन करने बाबत।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मण्डी/प्रांगण/कार्य योजना/बिन्दु-24/148-49
दिनांक 13.02.2019 एवं पत्र क्रमांक 473 दिनांक 28.5.2019

-000-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिससे प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों के प्रांगण/उपमण्डी प्रांगण में निर्मित सरचनाओं एवं भूखण्डों का म.प्र.कृषि उपज मण्डी (भूमि एवं सरचना का आवंटन) नियम-2009 के तहत आवंटन करने हेतु निर्देशित किया गया है। माह मई 2019 की स्थिति में प्रदेश में 3475 भूखण्ड एवं सरचनाएँ आवंटन हेतु शेष पाई गई है।


अतः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 15.06.2019 तक रिक्त संपदा के अफसेट वेल्यू का निर्धारण करें, दिनांक 25.06.2019 तक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करें तथा दिनांक 30.06.2019 तक आवंटन हेतु नीलामी कार्यवाही संपादित करना सुनिश्चित करें। आपके द्वारा की गयी कार्यवाही की माह जुलाई 2019 की उपसंचालक मासिक बैठक में समीक्षा की जावेगी। नियत समयावधि में नीलामी की कार्यवाही नहीं किये जाने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही की जावेगी।


(फैज अहमद किदवई)

प्रबंध संचालक, सह-आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
Ⓢ भोपाल

क/मंडी/प्रांगण/46/46/कार्य योजना/बिन्दु-24/492 भोपाल, दि. 31/5/2019
प्रतिलिपि-

1. संयुक्त/उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय.....
(समस्त) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि समयावधि में भूखण्ड/
सरचनाओं के संबध में मण्डी समितियों द्वारा की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन
माह जुलाई 2019 की उपसंचालक मासिक बैठक में समीक्षा हेतु उपलब्ध करावें।


प्रबंध संचालक, सह-आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
Ⓢ भोपाल